"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई 2012—आषाढ़ 23, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई 2012 (आषाढ़ 23, 1934)

क्रमांक-9645/विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 11 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये राज्य की संचित निधि में से 17,41,42,47,760/- रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम 2012 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए सत्रह सौ इकतालीस करोड़ बयालीस लाख सैतालीस हजार सात सौ साठ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	0	1,00,00,000	1,00,00,000
03	पुलिस	राजस्व	26,70,64,100	0	26,70,64,100
		पूंजी	10,40,00,000	0	10,40,00,000
05	जेल	राजस्व	85,86,000	0	85,86,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,16,60,000	0	1,16,60,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	10,35,00,000	0	10,35,00,000

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई 2012—आषाढ़ 23, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई 2012 (आषाढ़ 23, 1934)

क्रमांक-9645/विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 11 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये राज्य की संचित निधि में से 17,41,42,47,760/- रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम 2012 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए सत्रह सौ इकतालीस करोड़ बयालीस लाख सैतालीस हजार सात सौ साठ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	0	1,00,00,000	1,00,00,000
03	पुलिस	राजस्व	26,70,64,100	0	26,70,64,100
		पूंजी	10,40,00,000	0	10,40,00,000
05	जेल	राजस्व	85,86,000	0	85,86,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,16,60,000	0	1,16,60,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	10,35,00,000	0	10,35,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	0	5,00,000	5,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,03,40,000	0	1,03,40,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	18,50,00,000	0	18,50,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	75,00,00,000	0	75,00,00,000
18	श्रम	राजस्व	7,56,84,000	0	7,56,84,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	30,20,00,000	0	30,20,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,60,00,100	0	3,60,00,100
		पूंजी	200	0	200
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	2,19,77,000	0	2,19,77,000
		पूंजी	200	2,86,00,000	2,86,00,200
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	35,25,00,200	0	35,25,00,200
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	3,10,90,000	0	3,10,90,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	24,70,600	0	24,70,600
		पूंजी	300	0	300
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,53,42,000	0	1,53,42,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,03,67,00,000	0	3,03,67,00,000
		पूंजी	57,50,00,000	0	57,50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	96,77,14,100	0	96,77,14,100
		पूंजी	59,27,30,500	0	59,27,30,500
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	40,00,000	0	40,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	700	0	700
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	3,00,95,000	0	3,00,95,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	13,95,51,000	0	13,95,51,000
		पूंजी	40,95,40,200	0	40,95,40,200
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,81,09,200	0	5,81,09,200
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,79,87,000	0	1,79,87,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	100	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	200	0	200
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	12,96,62,000	0	12,96,62,000
		पूंजी	29,91,20,300	0	29,91,20,300
65	विमानन विभाग	राजस्व	20,00,00,000	0	20,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	38,00,000	0	38,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	8,84,660	0	8,84,660
		पूंजी	39,92,01,000	0	39,92,01,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	49,94,60,000	0	49,94,60,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	300	0	300
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	1,500	0	1,500

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	0	5,00,000	5,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,03,40,000	0	1,03,40,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	18,50,00,000	0	18,50,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	75,00,00,000	0	75,00,00,000
18	श्रम	राजस्व	7,56,84,000	0	7,56,84,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	30,20,00,000	0	30,20,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,60,00,100	0	3,60,00,100
		पूंजी	200	0	200
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	2,19,77,000	0	2,19,77,000
		पूंजी	200	2,86,00,000	2,86,00,200
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	35,25,00,200	0	35,25,00,200
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	3,10,90,000	0	3,10,90,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	24,70,600	0	24,70,600
		पूंजी	300	0	300
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,53,42,000	0	1,53,42,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व पूंजी	3,03,67,00,000 57,50,00,000	0 0	3,03,67,00,000 57,50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व पूंजी	96,77,14,100 59,27,30,500	0 0	96,77,14,100 59,27,30,500
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	40,00,000	0	40,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	700	0	700
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व पूंजी	3,00,95,000 1,00,00,000	0 0	3,00,95,000 1,00,00,000
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व पूंजी	13,95,51,000 40,95,40,200	0 0	13,95,51,000 40,95,40,200
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,81,09,200	0	5,81,09,200
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,79,87,000	0	1,79,87,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	100	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	200	0	200
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व पूंजी	12,96,62,000 29,91,20,300	0 0	12,96,62,000 29,91,20,300
65	विमानन विभाग	राजस्व	20,00,00,000	0	20,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	38,00,000	0	38,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व पूंजी	8,84,660 39,92,01,000	0 0	8,84,660 39,92,01,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	49,94,60,000	0	49,94,60,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	300	0	300
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	1,500	0	1,500

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	43,75,200	0	43,75,200
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,39,50,00,000	0	1,39,50,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	20,00,00,000	0	20,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,04,50,00,000	0	1,04,50,00,000
		योग - राजस्व	**9,48,60,92,460**	**1,05,00,000**	**9,49,65,92,460**
		पूंजी	**7,88,90,55,300**	**2,86,00,000**	**7,91,76,55,300**
		वृहद योग	**17,37,51,47,760**	**3,91,00,000**	**17,41,42,47,760**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 11-7-2012

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.